17/12/19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप.। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील में लिखे तथ्यों को दोहराते हुए बताया की सरपंच ग्रा.प. संघर ने उत्तरवादी संख्या 3/1, 3/2 के पति/पिता मांगीलाल द्वारा अपीलांट के नाम की भूमि खसरा 95R के ख०नं० 22/316 की 2.568 है० में से 0.252 है० भूमि का तथाकथित तरीके से नामा.ज. 547 से दिनांक 05/01/17 को स्वीकृत किया गया। अपीलांट के पिता के नाम अपील की मय संख्या-04(?) में अंकित खसरा 95R की 2.568 है० जहाँ मय आला में से 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि थी। पिता की मृत्यु के पश्चात, जो अपील रकबा अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट 1 व 2, 3/1, 3/2 के पति/पिता मांगीलाल को विरासतन इंतकाल संख्या 544 द्वारा प्राप्त हुई। अपीलांट ने मौके पर(?) और प्रश्नगत रकबा का हक त्याग नहीं किया है। रेस्पो. 3/1 से 3/2 के पति/पिता मांगीलाल द्वारा अपीलांटगण के आपसी विभाजन का कथन तथाकथित रूप से हक त्याग करवा लिया। जो अपीलांट के हितों पर विपरीत प्रभावी है। अपीलांटस, व रेस्पोंडेंटस, के पिता/दादा लखूर ने अपने जीवन काल में घरेलू बंटवारा करके 1/5, 1/5 हिस्सा का कब्जा सौंप दिया था। जिसकी अनदेखी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन आदेश एकं बिना सुने पारित किया गया है उसे निरस्त किया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर देरी को क्षमा कर अपील का निर्णय मेरिट पर किये जाने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोंडेन्टस, 1 व 2 ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। वकील रेस्पोंडेन्ट 3/1, 3/2 ने बताया की अपीलांट द्वारा इंतकाल सं. 547 दिनांक 5/1/17 के विरुद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। उन्होंने यह साबित नहीं किया है कि वह पटवारी के पास कब एवं किस पटवारी के पास गये। मात्र प्रार्थना पत्र दर्ज करने से मियाद अधिनियम का फायदा नहीं लिया जा सकता है। उक्त तथ्य को साबित करने हेतु सूचना देने वाला का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, जो आवश्यक है। प्रार्थीगण/अपीलांट व रेस्पोंडेंट 1 व 2 द्वारा उप पंजीयक छबलेरा के समक्ष दिनांक 20/9/16 को स्वयं उपस्थित होकर अपने विरासतन प्राप्त हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भाई स्व. मांगीलाल के पक्ष में दो गवाहों के समक्ष परित्याग कर कब्जा सौंप दिया था। उक्त हक त्याग उन्होंने स्वयं करवाया है, जो कि रजिस्टर्ड दस्तावेज है। इसी के आधार पर इंतकाल सं० 547 दर्ज किया गया है। जो सही है। इसे सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है क्योंकि यह रजिस्टर्ड दस्तावेज है। मौखिक बयान स्वतः रोक नहीं है। अतः मियाद के बिन्दु पर पुनः कायम रखे जाने हेतु कानूनी नजीर RBJ (25) 2010 पेज 190 एवं RBJ (5) 1998 पेज 443 पेश किया।

अ 7

# फर्द अहकाम

प्रकरण सं. 177 / 2019

| हुक्म | जमनादेवी आदि बनाम विमला व अन्य<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>रंगपाल अपील | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 17.12.19 | उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों एवं कानूनी नजीरों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांटस ने अपील में तथ्य अंकित किये है कि खाता विभाजन की आड़ में हडपना करवा लिया है, इस आधार पर अपील मीयाद का इस्तमाल किये जावे। अपीलांटस ने ब्यान की पक्षकारी ने उन्हे यह सूचना दी है। लेकिन उन्होंने इस हेतु कोई शपथ पत्र संलग्न पेश नही किया है एवं पत्रावली के अवलोकन से भी साबित है कि अपीलांट एवं रेस्पो. 1 व 2 ने उप पंजीयक के समक्ष उप० होकर उक्त Regd. दस्तावेज करवाया है, अतः उनके द्वारा मीयाद नही है कि उन्हे इस मामले की जानकारी नही थी।<br>उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। नकल दे कर हो।<br>निर्णय सो इजलास सुनाया गया।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.01.03 10:35:24 IST
Reason: SelfAttested
Location: